

राजस्थान सरकार

मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण  
राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण  
प्रकटीकरण विवरण

2018-2019

(राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005  
की धारा 5, 6 और 7 के अन्तर्गत)

## प्राक्कथन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 एवं उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बनाये गए राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006, क्रमशः 3 मई, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 से प्रभावशील हैं।

अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 और सहपठित नियम 3, 4 एवं 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं की अनुपालना में विधान सभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे  
मुख्यमंत्री

12 फरवरी 2018

## I. प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

1. राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजवित्तीय स्थिरता व संगत, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यमकालिक राजवित्तीय रूपरेखा में राजवित्तीय नीति का संचालन करके राजवित्तीय प्रबंधन और राजवित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 लागू किया गया है जो 3 मई, 2005 से प्रभावशील है।

2. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट के साथ राजवित्तीय नीति के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं :

- (1) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण; और
- (2) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण।

3. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में, अन्तर्निहित धारणाओं के स्पष्ट प्रतिपादन सहित राज्य सरकार के राजवित्तीय उद्देश्य और कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताएं उपवर्णित होंगी।

4. विशिष्टतया और उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में निम्नलिखित से संबंधित सहनीयता का निर्धारण सम्मिलित होगा:-

- (क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन;
- (ख) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए उधार सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग;
- (ग) आगामी दस वर्षों के लिए जीवनांकिक आधार पर संगणित वार्षिक पेंशन दायित्व;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वित्तीय वर्षों की कालावधि के लिए पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।

5. राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा:-

- (क) राजस्व प्राप्तियों, व्यय, उधार और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों, उधार देने और विनिधान, लोक माल/सेवाओं पर उपयोक्ता प्रभार और अन्य क्रियाकलापों जैसे पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की प्रत्याभूतियाँ और

क्रियाकलाप, जिनकी संभावी बजटीय विवक्षाएं हैं, के वर्णन से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजवित्तीय नीतियाँ;

(ख) राजवित्तीय क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की कार्य-नीति संबंधी प्राथमिकताएं;

(ग) राजस्व प्राप्तियों, सहायिकी, व्यय, प्रशासित मूल्य-निर्धारण, उधारों और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों से संबंधित राजवित्तीय उपायों में किसी मुख्य विचलन के लिए मुख्य राजवित्तीय उपाय और मूलाधार;

(घ) एक मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियाँ धारा 4 में उपवर्णित राजवित्तीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति योजना में उपवर्णित राजवित्तीय उद्देश्यों के किस प्रकार अनुरूप हैं।

6. अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राजवित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करेगी और तत्पश्चात् इसे बनाये रखेगी या राजस्व अधिशेष प्राप्त करेगी;
- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजवित्तीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लायेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी।

परन्तु राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा निम्न परिस्थितियों में धारा-6 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा:-

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण, या

(ख) विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण, या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक, या

(घ) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के अधीन ऊर्जा वितरण कम्पनियों के उधारों को टेकओवर करने और उन पर ब्याज के कारण।

इसके अतिरिक्त

- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 36.5, 36.5, 35.5, 35.0 और 34.0 प्रतिशत तक सीमित करेगी;

- राज्य सरकार राज्य अर्थव्यवस्था और सापेक्ष राजवित्तीय युक्ति के लिए संभाव्यताएं बताते हुए वार्षिक विवरण लाना सुनिश्चित करेगी;
- राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या और सापेक्ष वेतन का ब्यौरा देते हुए बजट के साथ विशेष विवरण लाना सुनिश्चित करेगी।
- यह सुनिश्चित करेगी कि 31.03.2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और तत्पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

7. अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी:-

- किसी परिवर्तन की दशा में, विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या संभवतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;
- भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों, अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों का ब्यौरा;
- आगामी दस वर्षों के लिए जीवनांकिक आधार पर संगणित प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व:

*परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच वित्तीय वर्षों तक पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।*

8. अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य की वित्तीय स्थिति:- दिनांक 3 मई, 2005 को अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य की वित्तीय स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार थी:-

- राजकोषीय घाटे की दृष्टि से उन राज्यों को गंभीर राजवित्तीय दबाव में माना जाता है जहां राज्य का ऋणभार कुल राजस्व प्राप्तियों के 300 प्रतिशत से अधिक हो। राज्य में वर्ष 2002-03 में यह अनुपात 351 प्रतिशत हो गया था।
- वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 31.23 एवं 30.07 प्रतिशत था।
- वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.26 तथा 6.90 प्रतिशत था।

## II. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 3 के अन्तर्गत मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण प्ररूप रा-1 में दिया जाना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है:-

क. राजवित्तीय संकेतक-चल लक्ष्य :

	2017-18 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	2017-18 पुनरीक्षित प्राक्कलन (पु.प्रा.)	2018-19 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	अगले दो वर्ष के लिए लक्ष्य	
				2019-20	2020-21
1. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा <sup>φ</sup> (-)/अधिशेष (+)	(-10.39)	(-14.97)	(-11.51)	(-9.18)	(-1.76)
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजवित्तीय घाटा	2.99	3.46	2.98	2.99	2.98
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्व	33.61	33.30	32.76	32.37	32.02

<sup>φ</sup> उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों के बकाया ऋणों का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में टेक-ओवर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा टेक-ओवर की गई राशि इन कम्पनियों को ऋण, अंश पूंजी एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को दिये गये ऋण का रूपान्तरण आगामी तीन वर्षों में अंश पूंजी एवं अनुदान में किया जायेगा। ऋण को अनुदान में रूपान्तरित करने तथा इस योजना के अन्तर्गत टेक-ओवर हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण पर भारित ब्याज के कारण वर्ष 2019-20 तक राज्य के बजट में राजस्व घाटा होना संभावित है।

ख. राजवित्तीय संकेतकों में अन्तर्निहित धारणाएं

क्रम सं.		वृद्धि दर	वृद्धि दर	वृद्धि दर	परियोजित वृद्धि दर	
		2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (पु.प्रा.)	2018-19 (ब.प्रा.)	2019-20	2020-21
<b>I राजस्व प्राप्तियाँ</b>						
1	केन्द्रीय करों में हिस्सा	20.20	10.35	16.96	14.00	14.00
2	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	3.88	16.78	12.12	22.27	13.64
	क. वस्तु एवं सेवा कर	-	-	79.49	38.10	14.00
	ख. विक्रयों, व्यापार इत्यादि पर कर	8.40	-31.72	-20.00	15.00	15.00
	ग. राज्य आबकारी	5.08	10.58	19.23	14.00	14.00
	घ. स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण फीस	-5.59	32.65	4.94	9.00	9.00
	ङ. मोटरयान कर	13.23	18.69	13.95	15.00	15.00
	च. माल और यात्रियों पर कर	-5.24	-59.17	-99.70	0.00	0.00
	छ. विद्युत पर कर और शुल्क	-61.58	374.10	-30.00	5.00	5.00
	ज. भू-राजस्व	15.50	80.09	3.60	10.00	10.00
	झ. मनोरंजन और विलासिता कर	28.73	-71.83	-98.39	0.00	0.00
	ञ. अन्य कर (भूमि कर आदि)	-22.94	39.08	0.00	10.00	10.00
3	राज्य का स्वयं का गैर-कर राजस्व	6.29	43.42	22.44	4.43	-4.26
	क. जल प्रदाय और स्वच्छता	46.45	23.35	11.11	15.00	15.00
	ख. खनन	11.94	15.74	18.37	14.00	14.00

क्रम सं.		वृद्धि दर 2016-17 (वास्तविक)	वृद्धि दर 2017-18 (पु.प्रा)	वृद्धि दर 2018-19 (ब.प्रा.)	परियोजित वृद्धि दर	
					2019-20	2020-21
	ग. पेट्रोलियम	-0.41	24.37	20.69	15.00	15.00
	घ. ब्याज प्राप्तियाँ	-2.47	154.69	28.42	-11.81	-49.79
	ड. अन्य	4.95	26.88	23.42	5.00	5.00
4	केन्द्रीय सहायता-अनुदान	4.03	49.82	2.29	-6.58	12.00
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1से 4)	8.72	23.54	12.60	11.83	11.23
II	राजस्व व्यय	19.67	21.80	9.21	9.49	3.67
	(i) ब्याज संदाय (ऋण सेवा)	47.21	11.93	8.22	10.00	10.00
	(ii) पेंशन	13.18	21.67	31.76	12.00	12.00
	(iii) आपदा राहत	-13.35	-29.20	-15.62	5.00	5.00
	(iv) सामान्य शिक्षा	16.30	14.41	20.40	10.00	10.00
	(v) चिकित्सा और स्वास्थ्य	15.06	29.69	27.94	10.00	10.00
	(vi) जल प्रदाय एवं स्वच्छता	8.98	22.67	-1.76	8.00	8.00
	(vii) ऊर्जा	52.94	39.14	-3.59	10.00	-33.43
	(viii) सिंचाई	7.19	10.31	8.91	10.00	10.00
	(ix) अन्य	9.61	25.18	2.22	8.00	8.00
III	पूँजीगत व्यय	-22.77	32.73	14.22	10.00	10.00
IV	उधार और अग्रिम (शुद्ध)	-67.99	-220.70	11.58	-17.51	-103.20
V	सकल राज्य देशी उत्पाद	11.04	10.67	11.89	11.50	11.50

#### ग. सहनीयता का निर्धारण (Assessment of sustainability)

(i) अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कुल व्यय और राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो। वर्ष 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (चालू कीमतों पर) की वृद्धि 10.67 प्रतिशत तथा वर्ष 2018-19 में 11.89 प्रतिशत तथा 2019-20 व 2020-21 में 11.50 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान 14वें वित्त आयोग द्वारा आंकलित औसत वृद्धि दर पर आधारित है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित औसत वृद्धि दर पर आधारित है। वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में कुल राजस्व प्राप्तियाँ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 16.03 प्रतिशत रहना अनुमानित है और वर्ष 2020-21 तक इसके 16.14 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.17 प्रतिशत है और वर्ष 2020-21 में यह 6.91 प्रतिशत रहना अनुमानित है। वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 4.41 प्रतिशत है तथा यह वर्ष 2020-21 में 4.82 प्रतिशत अनुमानित है। गैर कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए उपयोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रयास किया जायेगा ताकि उन्हें सहनीय बनाया जा सके। वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान दायित्वों को सीमित रखना राजवित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र पर दिए जा रहे अनुदान को व्यावहारिक स्तर पर रखने का प्रयास किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा उदय योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विद्युत वितरण कम्पनियों के राशि रुपये 62421.96 करोड़ के ऋणों का अधिग्रहण कर यह राशि इन कम्पनियों को अंशपूँजी, अनुदान तथा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि रुपये 44721.96 करोड़ में से वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रतिवर्ष रुपये 12000 करोड़ अनुदान एवं रुपये 3000 करोड़ अंशपूँजी के रूप में रूपान्तरण किया जायेगा। शेष ऋण राशि को वर्ष 2019-20 में रुपये 13816.47 करोड़ के अनुदान एवं रुपये 905.49 करोड़ अंशपूँजी के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा। इस रूपान्तरण से जो अतिरिक्त राजस्व व्यय हुआ है वह वर्ष 2019-20 उपरांत नहीं होगा फलस्वरूप वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय में वृद्धि की दर कम होना संभावित है।

(ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाजार से प्राप्त किये गए ऋण भी शामिल हैं।

(iii) आगामी दस वर्षों हेतु जीवनांकिक आधार पर संगणित पेंशन का दायित्व प्ररूप प्र-8 में दिया गया है।

#### घ. राज्य अर्थव्यवस्था की सम्भाव्यता के ब्यौरे वाला वार्षिक विवरण :-

(i) **राज्य अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण:** राज्य की अर्थव्यवस्था का आकलन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के प्रचलित तथा स्थिर मूल्यों पर किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विश्लेषण हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा आय लेखांकन के आधार वर्ष को 2004-05 से परिवर्तित कर 2011-12 कर दिया गया है। आधार वर्ष परिवर्तन की इस नई श्रृंखला में राज्य आय अनुमान साधन लागत के स्थान पर अब बाजार मूल्यों पर ज्ञात किये जाते हैं।

वर्ष 2017-18 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 8,40,263 करोड़ रूपए तथा स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 6,41,940 करोड़ रूपए अनुमानित है। वर्ष 2016-17 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 7,59,235 करोड़ रूपए तथा स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 5,99,029 करोड़ रूपए अनुमानित है। प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. वर्ष 2017-18 में प्रचलित कीमतों पर 1,11,540 रूपए अनुमानित की गई है, जो कि वर्ष 2016-17 की प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. 1,02,240 रूपए से 9.10 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2011-12 एवं 2017-18 में राजस्थान के सकल मूल्य संवर्धन (प्रचलित मूल्य पर) में क्षेत्रवार योगदान तालिका 1.1 में दर्शाया गया है, जो अर्थव्यवस्था में बदलाव को प्रकट करता है।



**तालिका 1.1**  
**राजस्थान के सकल मूल्य संवर्धन (प्रचलित मूल्य पर) में क्षेत्रवार योगदान**  
*(प्रतिशत में)*

क्षेत्र/वर्ष	2011-12	2017-18
कृषि	28.56(18.53)	24.76 (16.37)
उद्योग	32.69 (32.50)	27.83 (28.47)
सेवा	38.75 (48.97)	47.41 (55.16)

**नोट:—** कोष्ठक के आंकड़े अखिल भारतीय हैं।

वर्ष 2017-18 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का अंशदान 24.76 प्रतिशत अनुमानित है जो अखिल भारतीय स्तर के 16.37 प्रतिशत से अधिक है। उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.83 प्रतिशत, देश के अंशदान 28.47 प्रतिशत से कम है, तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 47.41 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय स्तर के 55.16 प्रतिशत से कम है।

(ii) **सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि** : राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अच्छा मानसून होने अथवा नहीं होने का सकल घरेलू उत्पाद पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 8,40,263 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्यों पर यह 6,41,940 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष 2016-17 की तुलना में क्रमशः 10.67 प्रतिशत तथा 7.16 प्रतिशत अधिक है।

### **कृषि क्षेत्र**

कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत फसल, पशुधन, मत्स्य एवं वानिकी सम्मिलित हैं। कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2017-18 में 1,93,855.58 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016-17 के सकल राज्य मूल्य संवर्धन 1,80,812.39 करोड़ रुपए से 7.21 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2017-18 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 1,45,948.40 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016-17 के सकल राज्य मूल्य संवर्धन 1,40,402.58 करोड़ रुपए से 3.95 प्रतिशत अधिक है।

### **औद्योगिक क्षेत्र**

उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस एवं जलप्रदाय तथा खनन सम्मिलित हैं। वर्ष 2017-18 में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन 2,18,051.09 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016-17 के सकल राज्य मूल्य संवर्धन 2,01,269.89 करोड़ रुपए से 8.34 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2017-18 में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन 1,79,767.46 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016-17 के सकल राज्य मूल्य संवर्धन 1,72,212.66 करोड़ रुपए से 4.39 प्रतिशत अधिक है।

### सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रेलवे, अन्य परिवहन, भण्डारण, संचार, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, वित्तीय क्षेत्र, स्थावर सम्पदा, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं आती हैं। वर्ष 2017-18 में प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन 3,71,121.11 करोड़ रूपए अनुमानित है, जोकि वर्ष 2016-17 के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन 3,27,069.16 करोड़ रूपए से 13.47 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2017-18 में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धन स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 2,67,280.13 करोड़ रूपए अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016-17 के सकल मूल्य संवर्द्धन 2,42,473.70 करोड़ रूपए से 10.23 प्रतिशत अधिक है।

### (iii) सरकार का वित्त सर्वेक्षण :-

#### (अ) प्राप्तियाँ

- राज्य की अधोसंरचना के विकास हेतु किया गया लोक निवेश, राज्य की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है और यह क्षमता राज्य की राजस्व वृद्धि की संभावनाओं में परिलक्षित होती है। मध्यमकाल में राज्य की राजवित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाना आवश्यक है, ताकि राज्य के विकास व्यय में वृद्धि हो सके एवं अर्थव्यवस्था के आधार का विस्तार किया जा सके।
- सरकार की कुल प्राप्तियाँ, राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखों की शुद्ध प्राप्तियों से निर्मित होती हैं। राजस्व प्राप्तियाँ, लोक ऋण, उधार वसूली तथा अन्य पूंजीगत प्राप्तियों से मिलकर राज्य की संचित निधि बनती है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 58.91 प्रतिशत से 82.42 प्रतिशत (तालिका 1.2) के मध्य परिवर्तित होता रहा है।

तालिका 1.2  
राज्य की कुल प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	लोक ऋण	उधार वसूली	अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	संचित निधि	शुद्ध लोक लेखा	कुल प्राप्तियाँ	राजस्व प्राप्तियाँ	
								(संचित निधि से प्रतिशत)	(कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)
2012-13	66913.01	9955.00	1101.56	8.12	77977.69	3207.99	81185.68	85.81	82.42
2013-14	74470.38	14491.44	315.53	10.27	89287.62	4862.56	94150.18	83.41	79.10
2014-15	91326.91	18140.82	1004.44	14.57	110486.74	5843.65	116330.39	82.65	78.51
2015-16	100285.12	60998.17	1447.33	24.34	162754.96	7488.85	170243.81	61.62	58.91
2016-17	109026.00	43888.85	1713.53	27.84	154656.22	6952.22	161608.44	70.50	67.46

3. राजस्व प्राप्तियों में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ तथा केन्द्रीय हस्तांतरण आते हैं। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का निर्धारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। 14वें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 5.495 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 5.647 प्रतिशत अंश निश्चित किया है। *आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हैं।* राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

**तालिका 1.3**  
**राजस्व प्राप्तियों की संरचना**

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ		केन्द्रीय हस्तांतरण		कुल राजस्व	प्रतिशत वृद्धि (पूर्व वर्ष से)
	कर	गैर कर राजस्व	कर	अनुदान		
2012-13	30502.65	12133.59	17102.85	7173.92	66913.01	17.37
2013-14	33477.70	13575.25	18673.07	8744.36	74470.38	11.29
2014-15	38672.94	13229.50	19816.97	19607.50	91326.91	22.64
2015-16	42712.92	10927.87	27915.93	18728.40	100285.12	9.81
2016-17	44371.66	11615.57	33555.86	19482.91	109026.00	8.72

4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व में गत चार वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें 9.82 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (Annual Average Compound Growth Rate) से वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका 1.4 में दर्शाया गया है। राजकोषीय समेकन की दृष्टि से आगामी वर्षों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में यथा संभव वृद्धि के प्रयास किये जायेंगे।

**तालिका 1.4**  
**राज्य के कर राजस्व में वृद्धि**

(करोड़ रुपये में)

स्वयं का कर राजस्व	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	चक्रवृद्धि वृद्धि दर (प्रतिशत)
भू-राजस्व	304.55	337.98	288.58	272.47	314.69	0.82
पंजीयन एवं मुद्रांक	3334.87	3125.33	3188.89	3234.00	3053.25	-2.18
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर एवं अन्य कर	150.52	13.08	5.21	9.33	7.19	-53.25
राज्य आबकारी	3987.83	4981.59	5585.77	6712.94	7053.68	15.32
बिक्री कर	18574.65	21215.51	24169.91	26344.77	28558.42	11.35
वाहन कर	2283.13	2498.90	2829.86	3199.44	3622.83	12.24
माल तथा यात्रा पर कर	248.57	287.92	956.52	847.72	803.28	34.08
विद्युत पर कर तथा शुल्क	1570.06	948.93	1534.51	1921.29	738.24	-17.19
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	48.47	68.46	113.69	170.96	220.08	45.97
<b>योग</b>	<b>30502.65</b>	<b>33477.70</b>	<b>38672.94</b>	<b>42712.92</b>	<b>44371.66</b>	<b>9.82</b>

बिक्री कर का, राज्य के कर राजस्व में 64.36 प्रतिशत योगदान है। बिक्री कर में, वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक, चार वर्षों में, 11.35 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि रही है। माल तथा यात्रा पर कर में 34.08 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है।

5. राज्य के गैर कर राजस्व में वर्ष 2016-17 में वर्ष 2015-16 की तुलना में 6.29 प्रतिशत की वृद्धि रही है, खननक्षेत्र से राजस्व की प्राप्ति में 11.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (तालिका 1.5)।

**तालिका 1.5**  
**राज्य के गैर कर राजस्व के घटक**

(करोड़ रुपये में)

गैर कर राजस्व	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियाँ	2067.00	2142.49	2065.39	1982.39	1933.37
जल प्रदाय एवं स्वच्छता	258.61	254.84	275.80	373.64	547.21
वन	91.24	77.52	89.31	133.75	113.00
सिंचाई (मुख्य, मध्यम व लघु)	102.61	92.49	81.41	86.09	122.61
पेट्रोलियम	5069.93	5953.71	4849.68	2341.43	2331.73
खनन	2838.59	3088.66	3635.46	3782.13	4233.74
अन्य	1705.61	1965.54	2232.45	2228.44	2333.91
<b>योग</b>	<b>12133.59</b>	<b>13575.25</b>	<b>13229.50</b>	<b>10927.87</b>	<b>11615.57</b>

**(ब) व्यय**

1. लोक व्यय के माध्यम से सरकार, राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध कराती है।
2. गत पाँच वर्षों (2012-13 से 2016-17) में आयोजना व्यय में 38.87 प्रतिशत और आयोजना भिन्न व्यय में 14.16 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि रही है (तालिका 1.6)।

**तालिका 1.6**  
**आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय**

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयोजना व्यय (राज्य बजट से)	वृद्धि (%)	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	आयोजना भिन्न व्यय (ऋणों के भुगतान को छोड़कर)	वृद्धि (%)	कुल व्यय	वृद्धि (%)	कुल व्यय में आयोजना व्यय का प्रतिशत
2012-13	24613.71	34.41	2545.55	49397.93	19.57	76557.19	23.72	32.15
2013-14	29109.64	18.27	2595.57	58280.25	17.98	89985.46	17.54	32.35
2014-15	44176.86	51.76	0.00	67168.57	15.25	111345.43	23.73	39.68
2015-16	90227.41	104.24	0.00	74599.34	11.06	164826.75	48.03	54.74
2016-17	77315.47	-14.31	0.00	79769.84	6.93	157085.31	-4.70	49.22

\* वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजना भिन्न व्यय का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है।

- लोक व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में भी किया जाता है। पूंजीगत व्यय, मुख्यतः परिसम्पत्तियों के सृजन और निवेश को दर्शाता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये।
- वर्ष 2016-17 के दौरान वेतन भुगतान पर व्यय, आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का करीब 30.23 प्रतिशत रहा है और इसमें वर्ष 2015-16 की तुलना में 1.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (तालिका 1.7)।

**तालिका 1.7**  
**आयोजना भिन्न राजस्व व्यय की संरचना**

(करोड़ रुपये में)

आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वेतन	16444.02	18856.51	20987.74	21585.72	24083.05
पेंशन	6857.69	7801.45	9629.08	10864.03	12295.67
ब्याज	8340.05	9063.20	10462.90	12008.30	17676.94
सहायतार्थ अनुदान	6868.23	8286.80	9574.11	11657.43	11181.04
अन्य	10716.50	14137.30	16444.26	18485.88	14420.89
<b>योग</b>	<b>49226.49</b>	<b>58145.26</b>	<b>67098.09</b>	<b>74601.36</b>	<b>79657.59</b>

**(स) लोक ऋण**

- 31 मार्च, 2018 तक राज्य का लोक ऋण 215218.67 करोड़ रुपये अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.61 प्रतिशत होना अनुमानित है। लोक ऋण की संरचना तालिका 1.8 में दर्शायी गई है:—

**तालिका 1.8**  
**लोक ऋण की संरचना**

(करोड़ रुपये में)

स्रोत/ वर्ष	31.3.2016 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2017 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2018 की स्थिति (संशोधित अनु.)	कुल ऋण का प्रतिशत
बाजार से उधार	75192.99	48.03	89517.76	45.81	112117.41	52.09
वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य	7863.19	5.02	8694.82	4.45	9808.27	4.56
एन.एस.एस.एफ.	20039.79	12.80	18504.04	9.47	16968.27	7.88
अन्य (बॉन्ड)	45195.77	28.87	67567.96	34.57	63417.79	29.47
अर्थोपाय अग्रिम (भारतीय रिजर्व बैंक से)	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय विशेष अग्रिम	-	-	-	-	-	-
केन्द्र से ऋण	8257.93	5.28	11139.37	5.70	12906.93	6.00
<b>योग</b>	<b>156549.67</b>	<b>100.00</b>	<b>195423.95</b>	<b>100.00</b>	<b>215218.67</b>	<b>100.00</b>

नोट : वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कम्पनियों के 62421.96 करोड़ रुपये के ऋणों को टेक-ओवर के लिए अतिरिक्त ऋण लेने के फलस्वरूप लोक ऋण में वृद्धि हुई है।

2. वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में कुल बकाया ऋण सकल राज्य देशी उत्पाद का 33.30 प्रतिशत अनुमानित है। कुल बकाया ऋण का विवरण प्ररूप प्र-7 में दिया गया है।

**(iv) संभाव्यता**

1 सामान्यतः राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन से प्रभावित होती है। राजस्थान में कृषि सदैव वर्षा से प्रभावित रही है जो मानसून की प्रकृति पर निर्भर है। राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो संपूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरूस्थल एवं अर्ध मरूस्थलीय है। यह भू-भाग जल एवं कृषि आवश्यकता हेतु पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहता है। राज्य में कुल फसल क्षेत्र, मानसून के प्रभाव से वर्ष दर वर्ष घटता-बढ़ता है।

2 वर्ष 2017-18 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर क्रमशः 8,40,263 एवं 6,41,940 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 10.67 तथा 7.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 3.95 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 4.39 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 10.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 7.21 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 8.34 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 13.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3 चयन आर्थिक समष्टिभाव संकेतकों एवं राजवित्तीय संकेतकों के रुखों का ब्यौरा सारणी-1 में प्रस्तुत है:-

**सारणी-1**

**चयन आर्थिक समष्टिभाव और राजवित्तीय संकेतकों के रुख चयन आर्थिक समष्टिभाव**  
(करोड़ रुपये में)

I	आर्थिक समष्टिभाव संकेतक	2015-16 (संशोधित अनुमान)	2016-17 (संशोधित अनुमान)	2017-18 (अग्रिम अनुमान)
I	<b>बाजार मूल्य पर सकल राज्य देशी उत्पाद</b>			
क	चालू कीमत पर	683758	759235	840263
ख	2011-12 की कीमत पर	558144	599029	641940

**सकल मूल्य संवर्धन में योगदान**

II	<b>कृषि क्षेत्र का योगदान</b>			
क	चालू कीमत पर	169667 (26.38)	180812 (25.50)	193856 (24.76)
ख	2011-12 की कीमत पर	136527 (26.16)	140403 (25.29)	145948 (24.61)
III	<b>औद्योगिक क्षेत्र का योगदान</b>			
क	चालू कीमत पर	191431 (29.74)	201270 (28.38)	218051 (27.83)
ख	2011-12 की कीमत पर	164553 (31.53)	172213 (31.03)	179767 (30.32)
IV	<b>सेवा क्षेत्र का योगदान</b>			
क	चालू कीमत पर	282186 (43.88)	327069 (46.12)	371121 (47.41)
ख	2011-12 की कीमत पर	220840 (42.31)	242474 (43.68)	267280 (45.07)

नोट :- कोष्ठक के आंकड़े सकल मूल्य संवर्धन में योगदान को दर्शाते हैं।

राजवित्तीय संकेतकों के रुख

(राशि करोड़ों में)

II	सरकार का वित्त	2016-17 वास्तविक लेखे	2017-18 के लिए बजट प्राक्कलन	2017-18 के लिए पु.प्रा	2018-19 के लिए बजट प्राक्कलन	प्रतिशत वृद्धि/कमी(-)	
						पूर्व वर्ष से चालू वर्ष	चालू वर्ष से आगामी वर्ष
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3)	109026.00	130162.07	134692.53	151663.50	23.54	12.60
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	77927.52	91797.83	88844.74	101408.76	14.01	14.14
2.1	स्वयं का कर राजस्व	44371.66	54569.01	51816.71	58099.10	16.78	12.12
2.2	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	33555.86	37228.82	37028.03	43309.66	10.35	16.96
3	गैर कर राजस्व (3.1+3.2)	31098.48	38364.24	45847.79	50254.74	47.43	9.61
3.1	राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व	11615.57	14493.09	16659.28	20397.42	43.42	22.44
3.2	केन्द्रीय अनुदान	19482.91	23871.15	29188.51	29857.32	49.82	2.29
4	पूँजीगत प्राप्तियां (4.1+4.2+4.3)	52582.44	51653.64	55944.34	60661.62	6.39	8.43
4.1	उधारों और अग्रिमों की वसूली	1713.53	15133.66#	15124.33	15734.25	782.64	4.03#
4.2	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	27.84	24.00	30.00	30.00	7.76	0.00
4.3	उधार और अन्य दायित्व	50841.07	36495.98	40790.01	44897.37	-19.77	10.07
5	कुल प्राप्तियां (1+4)	161608.44	181815.71	190636.87	212325.12	17.96	11.38
6	राजस्व व्यय	127140.14	143690.10	154858.51	169118.35	21.80	9.21
	जिसमें है :-						
	(क) ब्याज संदाय	17676.94	19626.91	19786.31	21412.62	11.93	8.22
	(ख) सहायतार्थ अनुदान एवं सहाय्य	50099.86	58824.22	63004.31	62309.78	25.76	-1.10
	(ग) मजदूरी और वेतन	30016.03	34887.11	39965.85	48949.49	33.15	22.48
	(घ) पेंशन संदाय	12295.67	14169.71	14960.42	19711.53	21.67	31.76
7	पूँजीगत व्यय	16979.72	25603.08	22536.60	25740.30	32.73	14.22
8	उधार और अग्रिम	12965.45	780.08	1543.67	580.31	-88.09	-62.41
9	कुल व्यय (6+7+8)**	157085.31	170073.26	178938.78	195438.96	13.91	9.22
10	राजस्व घाटा/आधिक्य (1-6)	-18114.14	-13528.03	-20165.98	-17454.85	11.33	-13.44
11	राजवित्तीय घाटा (9-(1+4.1+4.2))	46317.94	24753.53	29091.92	28011.21	-37.19	-3.71
12	प्राथमिक घाटा (11-6 (क))	28641.00	5126.62	9305.61	6598.59	-67.51	-29.09

\*\* कुल व्यय में लोक ऋण का पुनर्भुगतान सम्मिलित नहीं है।

# उदय योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण का रूपान्तरण अंश पूँजी एवं अनुदान में किया जाना है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में रुपये 15000 करोड़ के ऋण की वसूली दर्शाई गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों को यह राशि अंश पूँजी एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जानी है।

- ड. सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या और वेतन का ब्यौरा देने वाला विवरण :

### सारणी- 2

सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं इत्यादि में नियोजन और वेतन व्यय

क्र. सं.		कर्मचारियों की संख्या (हजारों में)		वेतन व्यय (करोड़ रुपये में)	
		2016-17	2017-18 (अनन्तिम)	2016-17	2017-18 (अनन्तिम)
1.	सरकारी विभाग	861* <sup>@</sup>	853* <sup>@</sup>	29552 <sup>□</sup>	39434 <sup>□</sup>
2.	पब्लिक सेक्टर उपक्रम	87**	85**	4915**	6035**
3.	सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थाएं	99	101	5085	5942
4.	पंचायतीराज संस्थाएं	62	61	3474	3618
5.	शहरी स्थानीय निकाय	38	38	1452	1950

\* स्वीकृत पदों के अनुसार।

<sup>@</sup> 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

\*\* ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।

□ कतिपय वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन सीधे निर्माण कार्यों पर प्रभारित होता है, अतः उक्त व्यय में सम्मिलित नहीं है।

### III. राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण प्ररूप रा - 2 में दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार है:-

#### (क) राजवित्तीय नीति सर्वेक्षण -

(i) राज्य की राजवित्तीय नीति का उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना तथा समाज के कमजोर तबके को उपयुक्त सुरक्षा कवच प्रदान करना है ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें तथा सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं राजस्व व्यय को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में राजवित्तीय पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन ने कर आधार एवं कर वसूली को बढ़ाने का प्रयास किया है।

(ii) राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2017-18 में 23.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2016-17 में 3.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16.78 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के राजस्व व्यय में वर्ष 2016-17 में 19.67 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसमें 21.80 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।



(iii) वर्ष 2017-18 में संशोधित अनुमानों में 20165.98 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है एवं राजवित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

(iv) आगामी वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में राजवित्तीय घाटे को, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.98 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में 17454.85 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा सम्भावित है।

(v) राजस्व घाटा रहने के लिए उत्तरदायी घटकों में विद्युत वितरण कम्पनियों को सहायता/अनुदान, डिस्कॉम के बकाया ऋणों के टेक-ओवर पर ब्याज, राज्य कर्मचारियों को नवीन वेतनमान के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय एवं पेंशन भुगतान में वृद्धि सम्मिलित हैं।

### (ख) आगामी वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति –

(i) **राजस्व नीति** : सरकार का प्रयत्न रहेगा कि विकास की गति को कम किये बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की जाए। सरकार की मंशा है कि वृहद कर सुधार नीति अपनाये, ताकि कर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाया जा सके, कर आधार का विस्तार किया जा सके, कर वसूली का पालन किया जा सके एवं कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। कर संकलन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु संबंधित विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग किया जायेगा।

(ii) **व्यय नीति** : परिव्यय सदैव परिणाम में परिणित हों, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा राजकीय व्यय में मितव्ययता लाने का भी प्रयास किया जायेगा जिससे अनुत्पादक व्यय में कमी लाई जा सके। राज्य सरकार द्वारा प्रभावी व्यय प्रबंधन हेतु मध्यमकालिक व्यय प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जाएगी।

(iii) **उधार और अन्य दायित्व, उधार देना और विनिधान** : ऋण के स्तर को राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य के भीतर सीमित रखा जायेगा। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि प्राप्तियों और व्यय के मध्य दिन प्रतिदिन आधार पर इस प्रकार से संतुलन बनाया जाये, जिससे कि मार्गोपाय अग्रिम अथवा ओवर ड्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। राज्य सरकार द्वारा प्रभावी लोक निवेश प्रबंधन तथा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा।

(iv) **समाश्रित और अन्य दायित्व** : राजकीय प्रत्याभूतियाँ जारी किये जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में वर्ष 2016 में राजस्थान राज्यवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में प्रावधान किया गया है। विशेष प्रयोजन उपकरण और अन्य समतुल्य उपकरणों, जिसमें प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार का हो सकता है, से संबंधित व्यवस्था में

कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। राज्य में गारण्टी मोचन निधि की व्यवस्था वर्ष 1999-2000 से लागू की हुई है। गारण्टी कमीशन से प्राप्त समस्त शुल्क इस निधि में रखा जाता है। बकाया प्रत्याभूतियों की सूचना एवं गारंटी मोचन निधि में जमा की जा रही राशि को प्रकटीकरण विवरण पत्र प्र. 2 एवं 4 में दर्शाया गया है।

(v) **उपयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण** : गैर कर राजस्व में वृद्धि, सिंचाई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों में उपयोक्ता प्रभारों पर निर्भर करती है। सामान्यतः उपयोक्ता प्रभार गैर कर राजस्व का एक प्रमुख घटक है। उपयोक्ता प्रभारों के निर्धारण में साम्यता तथा भुगतान क्षमता एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। अब जब विद्युत दरों के निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत नियामक आयोग पर है, राज्य सरकार द्वारा अन्य उपयोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।

(ग) **आगामी वर्ष के लिए युक्तिक पूर्विक्तार्ये**— 01 जुलाई, 2017 से नई कर प्रणाली अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। गैर कर राजस्व में बेहतर वसूली के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। व्यय पर नियंत्रण करने की दृष्टि से उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का युक्तिसंगत उपयोग करने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा।

(घ) **नीति परिवर्तनों के लिए मूल आधार** — वर्ष 2017-18 से बजट में आयोजना भिन्न व्यय एवं आयोजना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त किया गया है तथा व्यय के लिए प्रावधान राज्य निधि व केन्द्रीय सहायता के रूप में किया गया है।

(ङ.) **नीति मूल्यांकन** — वर्तमान राजवित्तीय नीति, अधिनियम के अन्तर्गत निरूपित मापदण्डों के अन्तर्गत है। अधिनियम द्वारा वांछित राजवित्तीय जानकारियाँ यथासंभव उपलब्ध कराई गई हैं। राजवित्तीय नीति की आवश्यक मान्यताएं (Assumptions) ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होने से सामान्यतः विश्वसनीय तो हैं परन्तु आंकड़ों के पूर्वानुमान की अपनी सीमाएं होती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमों में प्रावधित सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गए हैं।

#### IV. प्रकटीकरण विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रकटीकरण विवरण प्ररूप प्र-1 से प्र-8 में दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार है:-

#### चयनित राजवित्तीय संकेतक प्ररूप प्र -1

क्र. सं.	मद	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजवित्तीय घाटा	6.10	3.46
2.	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा(-)/आधिक्य	-16.61	-14.97
3.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल दायित्व	33.59	33.30
4.	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	44.04	44.22
5.	सकल राजवित्तीय घाटे के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय	36.66	77.47
6.	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	16.21	14.69
7.	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	13.90	12.78

\* उदय योजना अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों के दिनांक 30.09.2015 तक बकाया ऋणों का 75 प्रतिशत टेक-ओवर किये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में इस राशि का प्रभाव राजवित्तीय घाटे में सम्मिलित योग्य नहीं होगा। इस आधार पर वर्ष 2016-17 में राजवित्तीय घाटा (उदय योजना रहित) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.15 प्रतिशत रहा है।

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की 31.12.2017 को बकाया की स्थिति  
प्ररूप प्र -2

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया नेट प्रत्याभूतियों की रकम राशि (01.04.2017) को	वर्ष के दौरान परिवर्धन / आहरण (31.12.2017 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31.12.2017 तक)	वर्ष के दौरान अवलंब लिया गया (31.12.2017 तक)		(31.12.2017 तक) को यथा विद्यमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियाँ
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>सांविधिक निगम और बोर्ड</b>										
1	राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	659.67	0.00	0.00			659.67	0.66	0.49	
2	राजस्थान राज्य जलप्रदाय एवं सीवरेज निगम	1644.56	0	16.14			1628.42	12.65	9.49	
	<b>योग</b>	<b>2304.23</b>	<b>0.00</b>	<b>16.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2288.09</b>	<b>13.31</b>	<b>9.98</b>	
<b>सरकारी कम्पनियाँ</b>										
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	67500.00	0.00	0.00			67500.00	675.00	506.25	
	<b>योग</b>	<b>67500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>67500.00</b>	<b>675.00</b>	<b>506.25</b>	
<b>ऊर्जा</b>										
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	979046.67	63913.00	43767.60			999192.07	8189.24	6096.68	
2	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	694516.16	28394.31	6726.29			716184.18	6823.17	5082.15	
3	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	732885.40	9464.94	5340.92			737009.42	7143.72	5348.73	
4	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	723251.51	40456.13	12168.36			751539.28	6750.83	5024.38	
5	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1192150.16	457000.00	227869.00			1421281.16	12757.05	9215.85	
	<b>योग</b>	<b>4321849.90</b>	<b>599228.38</b>	<b>295872.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4625206.11</b>	<b>41664.01</b>	<b>30767.79</b>	
<b>सहकारी समितियाँ</b>										
1	डी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	1110.00	0.00	841.45			268.55	0.68	0.62	
2	राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड	99.99	0.00	33.33			66.66	0.21	0.16	
3	राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड	33088.36	16600.06	17821.67			31866.75	326.55	246.88	
4	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड	114132.79	21354.56	22417.98			113069.37	82.15	53.89	
5	राज. अजा. जजा. वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	9631.11	3942.04	2351.62			11221.53	43.26	28.40	
6	राज. अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	9832.96	1000.00	392.95			10440.01	98.33	74.33	
7	राज. अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	2595.35	264.75	10.00			2850.10	10.94	8.19	
	<b>योग</b>	<b>170490.56</b>	<b>43161.41</b>	<b>43869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169782.97</b>	<b>562.12</b>	<b>412.47</b>	
<b>राज्य वित्तीय निगम</b>										
1	राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड	30000.00	0.00	0.00			30000.00	300.00	225.00	
	<b>योग</b>	<b>30000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>30000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>225.00</b>	
<b>नगरीय विकास एवं आवासन</b>										
1	राज.शहरी पेयजल,सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लि.(पूर्व राविल)	28002.25	0.00	3643.63			24358.62	202.30	119.81	
2	राज.शहरी पेयजल,सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लि.(पूर्व रुफडिको)	11974.95	0.00	1122.66			10852.29	84.20	57.07	
3	जयपुर विकास प्राधिकरण	0.00	86650.00	0.00			86650.00	359.21	142.59	
	<b>योग</b>	<b>39977.20</b>	<b>86650.00</b>	<b>4766.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121860.91</b>	<b>645.71</b>	<b>319.47</b>	
<b>नगर पालिकाएं/स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाएँ</b>										
1	जिला परिषद, चित्तौड़गढ़	8247.95	0.00	547.47			7700.48	0.00	0.00	
2	जिला परिषद, बांसवाड़ा	31019.72	300.00	2116.48			29203.24	0.00	0.00	

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया नेट प्रत्याभूतियों की रकम राशि (01.04.2017) को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/आहरण (31.12.2017 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31.12.2017 तक)	वर्ष के दौरान अवलंब लिया गया (31.12.2017 तक)		(31.12.2017 तक) को यथा विद्यमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियाँ
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
3	जिला परिषद, नागौर	1051.79	0.00	79.36			972.43	0.00		
4	जिला परिषद, हनुमानगढ़	3807.23	0.00	269.46			3537.77	0.00		
5	जिला परिषद, करौली	6569.86	47.00	452.88			6163.98	0.00		
6	जिला परिषद, कोटा	4583.04	0.00	309.88			4273.16	0.00		
7	जिला परिषद, बाडमेर	11261.20	0.00	784.29			10476.91	0.00		
8	जिला परिषद, अजमेर	2359.16	0.00	169.02			2190.14	0.00		
9	जिला परिषद, बून्दी	3603.00	0.00	241.50			3361.50	0.00		
10	जिला परिषद, बांरा	6985.17	0.00	471.33			6513.84	0.00		
11	जिला परिषद, टोंक	5660.50	0.00	374.67			5285.83	0.00		
12	जिला परिषद, बीकानेर	8148.85	0.00	571.32			7577.53	0.00		
13	जिला परिषद, भीलवाड़ा	12211.07	25.00	828.42			11407.65	0.00		
14	जिला परिषद, पाली	6982.62	0.00	486.14			6496.48	0.00		
15	जिला परिषद, अलवर	2320.42	0.00	174.09			2146.33	0.00		
16	जिला परिषद, चूरु	882.44	0.00	66.24			816.20	0.00		
17	जिला परिषद, दौसा	1582.82	13.94	116.31			1480.45	0.00		
18	जिला परिषद, जोधपुर	8797.16	0.00	601.24			8195.92	0.00		
19	जिला परिषद, जालौर	11259.67	0.00	781.14			10478.53	0.00		
20	जिला परिषद, श्रीगंगानगर	5414.01	50.00	384.00			5080.01	0.00		
21	जिला परिषद, धौलपुर	680.28	0.00	51.13			629.15	0.00		
22	जिला परिषद, भरतपुर	2332.60	0.00	174.96			2157.64	0.00		
23	जिला परिषद, डूंगरपुर	31107.42	0.00	2105.55			29001.87	0.00		
24	जिला परिषद, सवाई माधोपुर	6031.31	150.00	427.82			5753.49	0.00		
25	जिला परिषद, सिरोही	4590.97	0.00	308.70			4282.27	0.00		
26	जिला परिषद, राजसमन्द	6632.14	48.30	467.25			6213.19	0.00		
27	जिला परिषद, प्रतापगढ़	13103.07	0.00	865.67			12237.40	0.00		
28	जिला परिषद, जैसलमेर	2606.53	0.00	193.53			2413.00	0.00		
29	जिला परिषद, झालावाड़	6126.13	0.00	416.78			5709.35	0.00		
30	जिला परिषद, उदयपुर	43158.64	0.00	3018.13			40140.51	0.00		
31	जिला परिषद, जयपुर	1435.03	0.00	101.37			1333.66	0.00		
<b>योग</b>		<b>260551.80</b>	<b>634.24</b>	<b>17956.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243229.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>सड़क और परिवहन</b>										
राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		219077.48	11955.00	6775.66			224256.82	2188.65	1628.01	
<b>योग</b>		<b>219077.48</b>	<b>11955.00</b>	<b>6775.66</b>			<b>224256.82</b>	<b>2188.65</b>	<b>1628.01</b>	
अन्य संस्थाएं : - 1. खारवाल्स		33.83	0.00	0.00			33.83	0.00	0.00	
2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर		4100.00	900.00	834.00			4166.00	47.38	34.88	
<b>योग</b>		<b>4133.83</b>	<b>900.00</b>	<b>834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4199.83</b>	<b>47.38</b>	<b>34.88</b>	
<b>महायोग</b>		<b>5115885.00</b>	<b>742529.03</b>	<b>370089.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5488324.64</b>	<b>46096.18</b>	<b>33903.85</b>	

**प्रत्याभूतियाँ मोचन निधि**  
**प्ररूप प्र-4**

(करोड़ रुपये में)

गत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियाँ (31.03.2017)	गत वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम	प्रत्याभूतियों की रकम जिसका वर्ष के दौरान अवलंब लिया जाना संभावित है	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में परिवर्धन (अनन्तिम)	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में से आहरण (अनन्तिम)	चालू वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
51158.85	2634.65	-	732.02*	-	3366.67*

\* निधि से विनियोजित राशि पर अर्जित ब्याज सहित

**31.12.2017 को यथाविद्यमान बकाया कर की मांगों का ब्यौरा**  
**(यथा मांग की गयी किन्तु वसूल नहीं की गयी)**

**प्ररूप प्र-5**

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक	योग
0029	भू-राजस्व	39.17	509.41	24.58	46.82	619.98
0030	पंजीयन एवं मुद्रांक	63.36	116.73	55.52	19.24	254.85
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	0.00	0.00	303.38	0.00	303.38
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	0.80	1.34	3.44	188.25	193.83
0040	बिक्री कर	6246.21	1647.64	654.88	812.31	9361.04
0041	वाहन कर	4.41	16.43	24.63	8.35	53.82
0042	माल व यात्री कर	174.46	184.79	149.64	16.43	525.32
0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क	45.89	0.00	0.01	0.40	46.30
0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	9.76	33.35	33.00	5.33	81.44

टिप्पणी :- बकाया कर की मांगों में विवादित/न्यायिक प्रकरणों के कारण बकाया चल रही मांगें शामिल हैं।

विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या सम्भाव्यतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

**प्ररूप प्र-6**

क्र. सं.	लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले राजवित्तीय संकेतक	राजवित्तीय संकेतक पर सम्भाव्य प्रभाव	अभ्युक्तियाँ (यदि कोई हों)
चालू वित्तीय वर्ष में लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।				

**प्ररूप प्र-7**  
**क. राज्य सरकार के उधार/अन्य दायित्वों के संघटक**

(करोड़ रुपये में)

प्रवर्ग	बकाया रकम (वित्तीय वर्ष के अंत में)		
	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	2018-19 (बजट प्रावधान)
कुल लोक ऋण	195423.95	215218.67	239261.79
आंतरिक ऋण	184284.58	202311.74	224442.05
केन्द्रीय सरकार के उधार	11139.37	12906.93	14819.74
अन्य दायित्व	59577.60	64609.88	68771.76
भविष्य निधि और बीमा	38894.45	42121.02	45505.56
आरक्षित निधि और जमा	20683.15	22488.86	23266.20
कुल दायित्व/ऋण	255001.55	279828.55	308033.55

**ख. भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्टों का ब्यौरा**

	2016-17	2017-18 (31.12.2017 तक)
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों की औसत रकम (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य
ओवर ड्राफ्ट के दिनों की संख्या	शून्य	शून्य
ओवर ड्राफ्ट के अवसरों की संख्या	शून्य	शून्य

**टिप्पणी:-** अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम की संगणना प्रत्येक दिन (अवकाश के दिनों को सम्मिलित करते हुए) पर अर्थोपाय अग्रिमों की बकाया रकम को जोड़कर और माह अप्रैल से रिपोर्ट की कालावधि के दौरान के दिनों की कुल संख्या से भाग देकर की जाती है।

**प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का विवरण**

**प्ररूप प्र-8**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	परियोजित पेंशन दायित्व	अभ्युक्तियाँ (यदि कोई हों)
1.	2019-20	16820	जीवनांकिक आधार पर पेंशन दायित्वों को प्राक्कलित किया गया है।
2.	2020-21	17378	" "
3.	2021-22	17928	" "
4.	2022-23	18692	" "
5.	2023-24	19757	" "
6.	2024-25	21275	" "
7.	2025-26	22905	" "
8.	2026-27	24796	" "
9.	2027-28	25618	" "
10.	2028-29	27162	" "